उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्या: 1984 औस/2011–116 ए0एरा0/96 **दिनांक: 5 जुलाई, 2011**

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल/पश्चिांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
वाराणसी/मेरठ/आगरा/लखनऊ एवम् केस्को,कानपुर/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0
मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत),
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

विषयः– वर्ष 2008–2009 हेतु कारपोरेशन के कर्मचारियों को तदर्थ अनुग्रह धनराशि भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के लेखा वर्ष 2008–2009 के लिए अपने कर्मचारियों को शासन की अनुरूपता में तदर्थ अनुग्रह धनराशि के भुगतान की निम्नलिखित प्रतिबन्धों सहित सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है:–

1 तदर्थ अनुग्रह धनराशि की सुविधा केवल उन अराजपत्रित कर्मचारियों, जिनके पद के पुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रू0 9400/–तक है, को ही अनुमन्य होगी। वेतनमान रू0 5850–9400 तक के पद पर कार्यरत ऐसे अरापत्रित कर्मचारियों की, जिन्हें 01.01.1996 को उनके पूर्ववर्ती वैयक्तिक प्रोन्नति/अगला वेतनमान का सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य होगी। ऐसे कर्मचारी जिन्होने दिनॉक 01.01.1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में ही बने रहने के लिए विकल्प दिया हो, के सम्बन्ध में पूर्व पद के वेतनमान का अधिकतम रू0 2930/– तक माना जायेगा, परन्तु रू0 5850–9400 (पूर्ववर्ती रू0 1850–2930) या इससे कम वेतनमान के राजपत्रित अधिकारियों की तदर्थ अनुग्रह धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

2 उक्त वर्ष के अनुग्रह धनराशि के भुगतान की सुविधा केवल उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी जो दिनॉक 31 मार्च, 2009 को सेवा में थे, और जिन्होने संगत वित्तीय वर्ष में एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली थी।

..................2/–

3 तदर्थ अनुग्रह की अधिकतम देय धनराशि रू0 3500 प्रतिमाह की परिलब्धियों पाने वाले कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य राशि तक सीमित रहेगी अर्थात जिन कर्मचारियों की परिलब्धियों रू0 3500/– से अधिक थी, उनके लिए तदर्थ अनुग्रह धनराशि का आगणन इस प्रकार किया जाएगा मानों उनकी परिलब्धियॉ रू0 3500/– प्रतिमाह है।

4 उपर्युक्त प्रयोजन हेतु परिलब्धियों का तात्पर्य मूल वेतन, वैयक्तिक वेतन, विशेष वेतन जैसा कि क्रमशः मूल नियम 9(21)(1),9(23) तथा 9(25) में परिभाषित है, प्रतिनियुक्ति भत्ता और मंहगाई भत्ता से होगा।

5– मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, पर्वतीय विकास भत्ता, परियोजना भत्ता, विशेष भत्ता आदि को परिलब्धियों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

6– उपर्युक्त वित्तीय वर्ष हेतु तदर्थ अनुग्रह धनराशि की गणना निम्नवत् की जाएगी। वर्ष 2008–2009 हेतु रू0 3500/– प्रतिमाह की परिलब्धियों पर मार्च 2009 की ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियॉ तदर्थ अनुग्रह धनराशि के रूप में रू0 3454/– होगें (रू0 3500X30/30.4=3453.95)(पूर्णांकित धनराशि रू0 3454.00)।

7– ऐसे कर्मचारी जिनके विरूद्ध वर्ष 2008–2009 में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी हो या जिनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा आपराधिक मुकदमे में उक्त अवधि में दण्ड दिया गया, उन्हें तदर्थ अनुग्रह धनराशि देय नहीं होगी। साथ ही प्रबंचन (FRAUD) अथवा विभाग के परिसर में उपद्रव अथवा हिंसात्मक आचरण अथवा चोरी, कारपोरेशन के धन का दुरूपयोग या कारपोरेशन की सम्पत्ति की तोड़–फोड़ के आरोपों में लिप्त कर्मचारी तदर्थ अनुग्रह धनराशि पाने के हकदार न होगें।

8– किसी वित्तीय वर्ष के तदर्थ बोनस के सम्बन्ध में एक बार निर्णय ले लिये जाने के पश्चात आगामी वर्षो में किसी भी परिस्थिति में पुर्नविचार नहीं किया जायेगा।

9– इन आदेशों द्वारा स्वीकृति तदर्थ अनुग्रह धनराशि की आगणित धनराशि को निकटतम एक रूपए में पूर्णांकित किया जायेगा, अर्थात 50 पैसे या उससे अधिक को एक रूपया मानकर और उससे कम को शामिल न करते हुए किया जायेगा।

10–कैजुअल / दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को जिन्होनें दिनांक 31 मार्च, 2009 को तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत् रहे हों, को भी यह सुविधा अनुमन्यय होगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी जिन्होनें दिनांक 31 मार्च, 2009 तक एक वर्ष निरन्तर सेवा पूरी नहीं की है परन्तु उक्त तिथि तक केजुअल / दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में (दोनों अवधियों को सम्मिलित करते हुए) तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत् रहा हो, यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे मामलों में सम्बन्धित कर्मचारी के लिए मासिक परिलब्धियों रू0 1200 / – प्रतिमाह मानी जायेगी और इस प्रकार तदर्थ अनुग्रह धनराशि कीदेय धनराशि रू0 1200X30 / 30.4=1184.21)(पूर्णाकित धनराशि रू0 1184.00) पूर्णाकित होगी। परन्तु ऐसे कर्मचारी जिनको वास्तविक परिलब्धियॉ रू0 1200 / – प्रतिमाह से कम हैं उन्हें तदर्थ अनुग्रह धनराशि उनकी वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर आगणित की जायेगी।

11–प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों जिन्हें उक्त सुविधा अनुमन्य है, को तदर्थ अनुग्रह धनराशि का भुगतान निम्नवत् किया जायेगाः–

(अ) वर्ष 2008–2009 की तदर्थ अनुग्रह धनराशि की 100 प्रतिशत धनराशि कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि / अंशदायी भविष्य निधि खाते में दिनांक 01.08.2011 में जमा मानी जायेगी, सामान्य भविष्य निर्वाह निधि खाते / अंशदायी भविष्य निधि के सदस्य न होने की दशा में उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

(ब) जो कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 30.06.2011 तक सेवानिवृत्त हो चुके है अथवा 31.01.2012 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनकों अनुमन्य तदर्थ अनुग्रह धनराशि (बोनस) की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

12–वर्ष 2008–2009 हेतु पावर कारपोरेशन के कर्मचारियों को अनुग्रह धनराशि के भुगतान पर आये वित्तीय भार को कारपोरेशन के आय–व्यय 2011–2012 के नामे डाला जायेगा।

13–अनुग्रह धनराशि के भुगतान के लिए लेखा स्कन्ध द्वारा पृथक से प्राधिकृत पत्र (लेटर आफ अथारिटी) निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी और कारपोरेशन के उक्त आदेश के आधार पर ही वर्ष 2008–2009 हेतु अनुग्रह

........................4 / –

धनराशि का भुगतान ग्राह्य होगा।

कृपया उक्त निर्णयानुसार कार्यवाही हेतु अपने अधीनस्थ सम्बन्धित अधिकारियों को निदेशित करने का कष्ट करें।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्याः 1984 (1) औस/2011--तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मा0 ऊर्जा मंत्री जी के निजी सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2- प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/संयुक्त प्रबन्ध निदेशक/निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0)/निदेशक (वित्त)/निदेशक (वितरण) के निजी सचिव।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड/जल विद्युत निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
6- मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा)/वित्त प्रबन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
7- समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण)/पारेषण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन/ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड।
8- कट फाइल ।

(नन्द लाल)
निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0)